देश के लिए.. अव्यवस्था के खिलाफ..

देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

जवाब दो!!! सरकार

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/rtiexpose/03

E-Newsletter, Issued in Public Interest

मंगलवार, 11 अगस्त 2020

क्या नियम विरुद्ध पटाखे की दूकान की अनुशंसा करना भ्रष्टाचार नहीं है?

जैसा कि आप को ज्ञात है कि इस रिपोर्ट के पहले भाग में जयपुर शहर में पटाखा दुकानों को लाईसेंस देने मे, होने वाले भ्रष्टाचार का खुलासा किया था|हमने बताया था कि किस प्रकार विद्युत ट्रांसफार्मर से सटी दूकान को जयपुर कमिश्नेरेट द्वारा नियम विरुद्ध पटाखा लाईसेंस जारी कर दिया गया था|

जयपुर नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर के अनुसार उसका काम अनुशंसा करना है,स्वीकृति देना नहीं देना पुलिस का काम

इस मामले में जयपुर नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर ने भेजी अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में कहा है कि पटाखा लाईसेंस हेतु आवेदन पुलिस उपायुक्त लाईसेंस एवं लीगल शाखा में किया जाता है पटाखा लाईसेंस हेतु अग्निशमन विभाग द्वारा केवल फायर की अभिशंषा चाही जाती है,जबकि पटाखा लाईसेंस जारी करना नहीं करना सम्बंधित पुलिस उपायुक्त लाईसेंस एवं लीगल शाखा का काम है|

लाईसेंसी श्री कल्याण साहू प्लाट न. 4 गणेश नगर,न्यू सांगानेर रोड सोडाला जयपुर को दिया गया अस्थायी पटाखा लाईसेंस,इस दूकान के पास स्थित ट्रांसफार्मर,जो किसी जिम्मेदार को नहीं

दोषी कौन?

इस दूकान की अभिशंषा रिपोर्ट पर सहायक पुलिस उपायुक्त,सोडाला जयपुर दक्षिण,अग्निशमन अधिकारी ,मुख्य अग्निशमन अधिकारी के हस्ताक्षर है,जिन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि *“मेरे द्वारा निरिक्षण किया गया व अस्थायी लाईसेंस जारी करने की अभिशंसा की जाती है”*

अब सवाल यह उठता है कि क्या मौका मुआयना करते समय इन महानुभावो को इतना बड़ा बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं दिखा?या जानबूझ कर इसकी अनदेखी की गयी|मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने भले ही अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में अपनी जान छुड़ाने की कोशिश की हो|परन्तु ऐसा कर वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

तथ्यात्मक रिपोर्ट

परिवाद दिनांक 15.03.2020 परिवाद संख्या 03200047453499 श्री ज्ञानेश कुमार मो0 न 9828346151 द्वारा राजस्थान संपर्क पर शिकायत की है कि अग्निशमन और पुलिस विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर के पास स्थित लाईसेंसी कल्याण साहू की 4 गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड स्थित दूकान को अस्थाई पटाखा लाईसेंस जारी करने में हुये भ्रष्टाचार की जांच बाबत्। पटाखा लाईसेंस हेतु आवेदन लाईसेन्स एंव लीगल शाखा में किया जाता है। अतः आवेदक से विभाग में चाहे गये समस्त दस्तावेजों की पूर्ति लाईसेन्स एवं लीगल शाखा में लिये जाते है। पटाखा लाईसेंस हेतु इस शाखा से केवल फायर की अभिशंषा चाही जाती है, जबकि पटाखा लाईसेन्स जारी करना व न करना पुलिस उपायुक्त लाईसेन्स एवं लीगल शाखा का है। इस प्रकार इस शाखा से पटाखा लाईसेंस जारी करने में किसी भी प्रकार से भष्टाचार की बात ही नही है। अतः उक्त के सम्बन्ध में रिपोर्ट पेश है।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर
हैरिटेज एवं ग्रेटर जयपुर

... का अस्थायी लाईसेंस जारी करने के संबंध में बिन्दुवार जांच रिपोर्ट

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट	चाही गई सूचना
1.	आवेदक का नाम, पिता का नाम, उम्र व पूर्ण पता--	कल्याण आ. [illegible] 56 [illegible]
2.	आवेदक के व्यवसाय तथा आपराधिक स्थिति के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करे।	[illegible] व्यवसाय / पुलिस से सम्बन्धित
3.	प्रस्तावित स्थल का विवरण जहां विस्फोटक आतिशबाजी का अनुज्ञापत्र चाहा है उसका सम्पूर्ण व स्पष्ट उल्लेख करे।	[illegible]
4.	प्रस्तावित स्थल जिस मार्ग, गली, बाजार में स्थित है उसकी चौडाई(मीटर) का स्पष्ट उल्लेख करें।	100 फीट
5.	प्रस्तावित स्थल की दुकान पक्की बनी हुई है अथवा कच्ची बनी हुई के बारे मे स्पष्ट उल्लेख करे।	पक्की
6.	प्रस्तावित स्थल बेसमेंट(तहखाना)/भू-तल/उपर की मंजिल, किस स्थान पर स्थित है के बारे में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करे।	भू तल
7.	प्रस्तावित स्थल पर आवेदक का स्वामित्व है अथवा नही ? दस्तावेजात के आधार पर स्पष्ट उल्लेख करे।	किराये पर
8.	प्रस्तावित स्थल का उक्त प्रयोजनार्थ नियमानुसार स्थानिय निकाय द्वारा होटल/रेस्टोरेन्ट हेतु अनुज्ञापत्र जारी किया हुआ है अथवा नही ? स्पष्ट उल्लेख करे।	नहीं है
9.	प्रस्तावित स्थल फायर हजार्ड/ट्रेफिक हजार्ड एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से उचित है अथवा नही ? टिप्पणी अंकित करें।	उचित है
10.	प्रस्तावित स्थल/दुकान के 15 मीटर की परिधि में ज्वलनशील पदार्थ/विस्फोटक या खतरनाक पदार्थ के भण्डारण स्थल/दुकान है अथवा नही ? टिप्पणी अंकित करे।	10X15
11.	प्रस्तावित स्थल का कोई भाग सीढियो के नीचे है अथवा नही एवं स्थल के उपर रिहायशी(मानव निवास) भवन स्थित है ? स्पष्ट रिपोर्ट करे।(स्थल के उपर मानव निवास कदापि न हो)	नहीं है
12.	प्रस्तावित दुकान का क्षेत्रफल कम से कम 9 वर्ग मीटर व अधिकतम 25 वर्ग मीटर है अथवा नही ? क्षेत्रफल के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट करें।	15X12
13.	प्रस्तावित दुकान पर फायर ब्रिगेड वाहन पहुंचने का रास्ता है अथवा नही? स्पष्ट रिपोर्ट करें।	रास्ता है
14.	प्रस्तावित दुकान में बिजली की फिटिंग कन्ड्यूट पाईप अथवा प्लास्टर के अन्दर है अथवा नही ? स्पष्ट रिपोर्ट करें।	उचित है
15.	प्रस्तावित स्थल पर विस्फोटक सामग्री का पूर्व में अनुज्ञापत्र जारी हुआ है तो उसका विवरण-	पूर्व में जारी
16.	यदि स्थल पर पूर्व में विस्फोटक सामग्री के लिए अनुज्ञापत्र जारी हुआ है तो कारोबार के संबंध में आवेदक के विरूध कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा नही ? तथा आवेदक को पूर्व में दण्डित तो नहीं किया गया है।	पुलिस से सम्बन्धित
17.	प्रस्तावित स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के संबध मे टिप्पणी -	उचित है।
18.	अन्य कोई विशेष उल्लेखनीय बिन्दु हो तो उल्लेख किया जावें।	—
19.	विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 6 में वर्णित उपबन्धो के तहत आवेदक की पात्रता व विस्फोटक नियम 2008 की धारा 83,84,86 में विर्णित उपबन्धों के तहत प्रस्तावित स्थल की उपयुक्तता के संबंध में परीक्षण किया जाकर आवेदक को प्रस्तावित स्थल पर आतिशबाजी(आवेदन में वर्णित मात्रा) का स्थाई अनुज्ञापत्र जारी किये जाने अथवा नही किये जाने के संबंध में निष्कर्षात्मक राय के रूप में स्पष्ट टिप्पणी- मेरे द्वारा निरीक्षण किया। [illegible]	

मुख्य अग्निशमन अधिकारी / सहायक

सहायक पुलिस आयुक्त

देवेन्द्र कुमार मीना
अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम, जयपुर

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नगर निगम जयपुर

शहर में कई अवैध दुकानों को हर साल अस्थायी पटाखा लाईसेंस जारी

शहर में हर साल ऐसी सैंकड़ो दुकानों को इस प्रकार नियम विरुद्ध अस्थायी लाईसेंस जारी किये जाते है और यह काम फ्री में तो कतई नहीं किया जाता है|अब जब इतने बड़े अधिकारी अपनी अनुशंसा देते हो तो लिहाजा दक्षिणा भी मोटी होती होगी|दिवाली के समय बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियों में इस दक्षिणा के सूद के रूप में भारी मात्रा में पटाखे जाते हुए देखे जा सकते है|जिसका भुगतान शायद ही कोई करता होगा,अब इस प्रकरण में तो यह मुहावरा ही सही बैठता है कि **"सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का"**

अवैध दुकानों में हो चुके है हादसे

गत वर्ष इंदिरा बाजार में पटाखा दूकान में लगी आग का हादसा सभी को मालुम है|परन्तु जब अधिकारी अपने को फंसता देखते है तो हर चीज मैनेज कर लेते है,कई बार वह कामयाब हो जाते है और कई बार जागरूक नागरिकों की वजह से बेनकाब हो जाते है|दिवाली आने में कुछ समय ही शेष है यही हम और आप जागरूक हो जाये तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जरुर कानून का पाठ पढ़ा सकते है|यदि आपके आस-पास भी ऐसे ही अवैध दुकानों में पटाखा दूकान संचालित हो रही हो तो प्रशासन को आगाह करें|